FORM NO 111

(1)

(नियम 133)

अज अदालत, उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़ जिला हनुमानगढ़

अनवान :– सुखदेव सिंह बनाम गोगा सिंह आदि

धारा :– 88,53 आर.टी.ए. मुकदमा न0 – 395 / 2017

	हुक्म या कार्यवाही मय अनिशिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
11.017	अभिभाषक वादी द्वारा दावा पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन एव साधारण सम्मन द्वारा तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 27.12..2017 वास्ते तलबी प्रतिवादिगण पेश हो।	
	27.12.17 ... उभयपक्ष/उप. ... उभयपक्ष/उप ... पेशी दिनांक 27.3.18 पेश हो।	
	27.3.18 पत्रावली पेश हुई अधिवक्ता/वादी/प्रतिवादी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित अधिवक्ता/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष/उप. अनुपस्थित ... वास्ते ...वास्ते तलबी हेतु ... पेशी दिनांक 4.5.18 ... हो।	
	4.5.18 पत्रावली पेश हुई। वादी ... पत्रावली में ... पेश ... ... पत्रावली ... दिनांक 24.5.18 को पेश हो।	सुखदेव सिंह गोगासिंह
	24.5.18 पत्रावली पेश हुई। वादी का ...	

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है
विस्तृत निर्णय अलग से लिखकर राजीनामा
शामिल की शामिल रहेगा। पक्षकार डिक्री जारी
हो पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल
दफ्तर की जावे।

आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व)हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी:-सुरेन्द्र पुरोहित(आर ए एस)

स्व वाद संख्या :-395/2017

देव सिह पुत्र गुगा सिह उर्फ गोगासिह जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबलीबास रोही(ढाणी बावरियों वाली) तहसील हनुमानगढ।

---वादी।

बनाम

सिह उर्फ गोगासिह पुत्र मेहर सिह जाति बावरी निवासी वार्ड नम्बर 5 डबलीबास रोही (ढाणी बावरियों वाली) तहसील हनुमानगढ।

---प्रतिवादी।

अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधि.

स्थित:-

ी प्रदीप मोहन भाटी, एडवोकेट-वादी।

ी दीपक सैनी, एडवोकेट-प्रतिवादी

दिनांक: 24.5.18

निर्णय

वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी के पिता चक 11 जेआरके पटवारी ल्का डबलीबास मिढा, तहसील हनुमानगढ में मुताबिक जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता ख्या 39/36 में प.न. 79/253(26)किला नम्बर 1 ता 25, प.न. 76/254(31) किला नम्बर 4 5 प.न. 77/254(32)किला नम्बर 1 ता 3, प.न. 80/254(35) किला नम्बर 6 ता 10 प.न. 3/255(38) किला नम्बर 11 ता 14, 17 कुल किला 40 यानि 10.120 है. नहरी कृशि भूमि । उक्त कृशि भूमि दादालाई पैतृक कृशि भूमि होने के कारण वादी के दादा मेहर सिह से ादी के पिता यानि प्रतिवादी को प्राप्त हुई है। इस प्रकार पैतृक कृशि भूमि होने के कारण ादी का उसमें जन्म से ही हक निहित है किन्तु प्र नगत आराजी प्रतिवादी के नाम ही ाजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी उक्त कृशि भूमि में से वाद पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णितानुसार 24.00 बीधा का ा तकार है जिसकी पानी की पर्ची एवं लगान आदि वादी ही जमा करवाता आ रहा है व ादी ऐसी घोशणा करवाकर जमाबंदी दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। वादी हेतुक पूर्ण से कृशि भूमि प्रतिवादी के नाम दर्ज होने एवं जमाबंदी संवत 2072-2075 तन्हा प्रतिवादी का नाम खातेदार का तकार दर्ज होने के कारण प्राप्त हुआ है। वाद हेतुक अभी भी चालू है जो दिन प्रतिदिन जारी रहता है।

अतः वाद वादी विरूद्व प्रतिवादी डिकी फरमाया जाकर घोशणा की जावे कि वादी वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित चक 11 जेआरके पटवारी हल्का डबलीबास मिढा, तहसील हनुमानगढ में मुताबिक जमाबंदी संवत 2072-2075 खाता संख्या 39/36 में प.न.

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner